

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बुलन्दशहर।

प्रेष्य,

प्रबन्धक,
वीरेन्द्र स्वरूप भट्टनागर मार्डन एकेडमी,
कायस्थवाड़ा, सिकन्द्राबाद, जिला—बुलन्दशहर।

पत्रांक/शि०स०/मान्यता/१६८०९—४// 2013–14 दिनांक - ३-२-१४


विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण—पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 30.08.2013 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं वीरेन्द्र स्वरूप भट्टनागर मार्डन एकेडमी, कायस्थवाड़ा, सिकन्द्राबाद, जिला—बुलन्दशहर की तारीख 01.07.2014 से तारीख 30.06.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 20.12.2013 के प्रस्ताव संख्या ✓ में व्यक्त सहमति के आधार पर अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।


उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठ के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांग 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांग 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक के उपरक मृता-प्रिता या संरक्षक को किसी स्त्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।



V.S.B.M. Academy
Sikandarpur

VIRENDRA SWAROOP BHATI
MODERN ACADEMY (SIKANDARPUR)



6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सवूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :
- (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे;
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और;
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
- | | |
|---|------------------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल | - 1500 वर्ग मीटर |
| कुल निर्मित क्षेत्र | - 800 वर्ग मीटर |
| क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल | - 700 वर्ग मीटर |
| कक्षाओं की संख्या | - 12 |
| प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भाड़ागार के लिए कक्ष - | 5 |
| बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय - | उपलब्ध हैं |
| पेयजल सुविधा | - उपलब्ध है। |
| मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई | |
| बाधारहित पहुंच | |
| अध्यापन पठन सामग्री/ क्रीड़ा खेलकूद उपस्कर्णों/ पुस्तकालय की उपलब्धता | |
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-सान्तता नहीं।

(3)

- प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड, अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या— अग्रेजी अस्थाई नर्सरी व जूनियर-2 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित संस्कार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपार्थ के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. प्रत्येक कक्षा कक्ष में प्रति छात्र 9 वर्ग फुट का स्थान बैठने हेतु आधार मानकर छात्रों का प्रवेश किया जाये।

मवदीय

महेश चन्द्र
(महेश चन्द्र)

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी

बुलन्दशहर

पृ०स०/शि०स०/

✓ / 2013-14 तददिनांक -

प्रतिलिपि-

1. सहायक शिक्षा निदेशक वैसिक प्रथम मण्डल मेंरठ।

2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड/नगर क्षेत्र फैलोडावाड़

3. कार्यालय प्रति।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी

बुलन्दशहर
VIRENDRA SWAROOP BHATNAGAR
MANAGER
MODERN ACADEMY (SIKANDRABAD)

Principal
V.S.B.M. Academy
Sikandrabad (UP)

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर।

पत्रांक: बेसिक / मान्यता / ३००

/ २०२४-२५

दिनांक: - २७.५.२०२४

सेवा में,

प्रबंधक,

वीरेन्द्र स्वरूप भट्टनागर मार्डन एकेडमी,

कायरथवाडा, सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर।

विषय— स्कूल की स्थायी मान्यता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2024 का अवलोकन करने का काष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम आपके द्वारा वीरेन्द्र स्वरूप भट्टनागर मार्डन एकेडमी, कायरथवाडा, नगर क्षेत्र—सिकन्द्राबाद, को स्कूल की स्थायी मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की गयी है।


आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2024 के कम में अवगत कराना है कि वीरेन्द्र स्वरूप भट्टनागर मार्डन एकेडमी, कायरथवाडा, नगर क्षेत्र—सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक: शि०स०/मान्यता/14809-811/2013-14 दिनांक 03.02.2014 के द्वारा कक्षा नंसीरी से कक्षा-०८ की मान्यता प्रदान की गयी थी। उक्त मान्यता शासनादेश संख्या 419/79-5-2013-18/20/3 शिक्षा अनुभाग लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के अनुसार मान्यता निर्गत की गयी, शासनादेश के पृष्ठ 12 बिन्दु संख्या-15 में उल्लेखित है कि 'प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लेखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपचारिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है'।


कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक, स्कूल शिक्षा के पत्र रा०पा०नि०/५६५४/२०२१-२२ लखनऊ दिनांक 08.03.2022 में स्पष्ट है कि उक्त प्राविधान के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण—पत्र निर्गत करने का प्राविधान नहीं है।

अद्यतन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में विद्यालय की मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है। अतः शासनादेशानुसार यह मान लिया गया है कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

उक्त से अवगत होने का काष्ट करें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर।


Principal
V.S.B.M. Academy
Sikandrabad (UP)


MANAGER
VIRENDRA SWAROOP BHATNAGAR
MODERN ACADEMY (SIKANDRABAD)